न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या2 / 2018

उनवान मुकदमा

1–श्री रकमचन्द पिता श्री विठला मईडा उम्र 56 वर्ष जाती भील निवासी घलकीया तहसील व जिला तहसील व जिला बांसवाडा(राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री गणपत लबाना पिता श्री कणजी लबाना उम्र वयस्क जाति लबाना निवासी गढी तहसील व जिला बांसवाडा(राज0)

2–श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री गणपत लबाना उम्र वयस्क जाति लबाना निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 06 / 05 /2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया उसके साथ एक प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रार्थी (वादी) के निजी खातेदारी व कब्जे के खेवट खतौनी (जमाबन्दी) सवंत 20702073 के खाता क्रमांक 78(नई) 54 (पुरानी) के आरजी सर्वे नम्बर 505 / 236 / 7,रकबा 04 बिस्वा,लगानी0.06 रूप्या की कृषि भूमि वाके गांव श्यामपुरा ,पटवार क्षेत्र लौधा तहसील व जिला मे स्थित भूमि का प्रार्थी को उपयोग–उपभोग करने में अप्रार्थीगण रूकावट ,व्यवधान या बाधा उत्पन्न नही करें वादी उक्त खेत का खातेदार कृषक है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में उसका नाम बहैसियम खातेदार के दर्ज है तथा प्रार्थी वादी उक्त खेत पर काबिज होकर उपयोग व उपभेग करता चला आ रहा है । प्रतिवादी का जवाब बंद किया जाता है । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रार्थी वादी के पक्ष में मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक निषेधादेश के आदेश दिये जाते है ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर की जॉच व अवलोन कर पाया कि वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। वाद निस्तारण तक प्रार्थीगण के कब्जेकाशत की कृषि भूमि में प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक कृषि कार्य में न तो स्वंय अवरोध उत्पन्न ही करे न ही किसी को करने दे न तो स्वंय ऐसा करे एवं न ही अपने किसी प्रतिनिधि से ऐसा करावे वाद निस्तारण तक यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने आदेश आज दिनांक 06.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.28 15:21:09 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा कुमारी पार्थ)आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

Scanned by CamScanner